राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांकःएफ ( )/एससीएसपी/प्र0गाँ0स0–21/सान्याअवि /2021/40023 जयपुर, दिनांक 10/9/2021

1. समस्त जिला कलक्टर
   राजस्थान।

2. समस्त जिलाधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान।

विषयः– <u>प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 के शिविरों हेतु पूर्व तैयारी (Preparation) के लिए होने वाली ग्राम सभाओं में एवं शिविरों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने</u> के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का पत्रांक 2471 दिनांक 09.09.2021 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 472–575 दिनांक 01.09.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्व विभाग (ग्रुप–1) के परिपत्र क्रमांक प.12(2)राज–1/2020 दिनांक 16.08.2021 द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 के सम्बन्ध में व्यापक निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ''प्रशासन गांवों के संग अभियान'' की पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 20.09.2021 से 30.09.2021 तक राजस्व ग्राम स्तर पर गांव सभाओं का आयोजन तथा जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर तथा 14 से 18 सितम्बर के मध्य आयोजित किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को प्राप्त हो, इसके लिए प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 से पूर्व तैयारी हेतु ग्राम सभाओं के माध्यम से तैयारियाँ की जाये जिससे कि विभाग की योजनाओं का लाभ आमजन को अधिक से अधिक प्राप्त हो सके।

इस अवसर का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु मुख्य रूप से दो कार्य किये जाने हैंः–

1. विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर जोड़ना।
2. जो लाभार्थी पहले से ही चिन्हित हैं परन्तु किसी कारण से योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं (सूचियां संलग्न), उनकी समस्याओं का समाधान कर लाभ दिलाना।

A. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

- वर्तमान में ऐसे अनेक पात्र पेंशनर्स हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पेंशन राशि का नियमित भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। इन कारणों में प्रमुख हैं– पेंशनर्स के बैंक खातों के विवरण में त्रुटि यथा शाखा का नाम अथवा खाता संख्या अथवा आई.एफ.एस.सी. कोड में त्रुटि, पेंशनर्स द्वारा अन्य बैंक में खाता खोले जाने पर उसकी सूचना राज एस.एस. पी. पोर्टल पर अद्यतन नहीं होना, मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के प्रकरणों में पेंशनर का अपूर्ण पता होने से मनीऑर्डर लौटाया जाना, ऐसे पेंशनर्स का अपने निवास से अन्यत्र पलायन, जन धन खातों में निर्धारित राशि रूपये 50 हजार जमा होने पर बैंक द्वारा पेंशन राशि लौटाया जाना, इत्यादि सम्मिलित हैं। पंचायत स्तर की ट्रेनिंग के दौरान ऐसे लाभार्थियों की सूची ग्राम विकास अधिकारी/सम्बंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/विकास अधिकारी को ग्रामवार उपलब्ध कराई जानी है। ग्राम सभा में इन सूचियों को पढ़कर सुनाया जाना है तथा सम्बन्धित पेंशनर से जनाधार पोर्टल पर उसके बैंक खातों के विवरण में संशोधन करवाया जाना है। मनीऑर्डर से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के यथा सम्भव बैंक खाते खुलवाए जाने हैं।
- ग्राम सभा में यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु कोई पात्र व्यक्ति चिन्हित किया जाता है तो उसे इस सूची में जोड़ा जाना है तथा ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से राज एस.एस.पी. पोर्टल पर उसका आवेदन भरवाया जाना है।
- यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो गई है तो इसका इन्द्राज पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) द्वारा राज एस.एस.पी. पोर्टल पर किया जाए। पलायन/पुनर्विवाह /अपूर्ण पता, इत्यादि अन्य कारणों को भी इसमें इन्द्राज किया जाना है। अभियान के दिन इसकी अपडेट रिपोर्ट पंचायत समिति स्तर पर भेजी जानी है।
- कुछ विधवा पेंशनर्स हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है:– वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत कुछ महिला पेंशनर्स विधवा है लेकिन उन्हें अभी भी वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। ग्राम सभा में ऐसी महिला पेंशनर्स को चिन्हित किया जाकर जनाधार पोर्टल पर उनकी वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन करवाया जाये ताकि उन्हें विधवा पेंशन का लाभ मिल सके।
- एकल महिला:– कुछ महिलायें ऐसी हैं जो पति से 3 वर्ष से अधिक समय से अलग रह रही हैं लेकिन उनका एकल महिला प्रमाण–पत्र विभिन्न कारणों से नहीं बन पाया है, इससे वे पेंशन के साथ–साथ पालनहार और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं से भी वंचित हैं। ऐसे प्रकरणों को ग्राम सभा में चिन्हित किया जाए तथा उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा इन महिलाओं को एकल महिला प्रमाण पत्र जारी किए जाये।

B. पालनहार योजना

पालनहार योजना में निम्नानुसार लाभार्थियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाये:–

- पालनहार योजना हेतु पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया जावे।

- विशेष रूप से विधवा के बच्चों के साथ–साथ विशेष योग्यजन, एड्स पीडित, सिलिकोसिस पीड़ित, तलाकशुदा/परित्यक्ता के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाये। इनकी सूची ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई जाये।
- विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही पात्र लाभार्थियों को पालनहार योजना में लाभ दिलवाये जाने बाबत चिन्हित करना।

C. सिलिकोसिस योजना

राजस्थान सिलिकोसिस नीति राज्य फ्लैगशिप योजना है, इसके अंतर्गत सिलिकोसिस रोगी के प्रमाणीकरण पर ₹ 3 लाख एवं प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन और मृत्यु उपरांत ₹ 2 लाख की राशि और विधवा पेंशन तथा पालनहार योजना में लाभ देय है ।

इसलिए शिविरों से पूर्व एवं शिविरों में रजिस्टर्ड सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को पूर्व निर्धारित अस्पताल में एक्सरे करवाकर उसका प्रमाणीकरण एवं उन्हें सहायता राशि दिलवाई जानी है एवं परिवार को पेंशन और पालनहार योजना से भी जोड़ा जाना है।

D. विशेष योग्यजन के प्रमाण पत्र (Disability Certificate) व लाभ दिलवाना :–

- प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 के अंतर्गत राज्य में विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण एवं प्रमाणीकरण की व्यवस्था हेतु जानकारी उपलब्ध करवाया जाना है।
- ऐसे विशेष योग्यजन जो ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर युक्त निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु उनके द्वारा अभी तक निःशक्तता प्रमाणीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन नहीं किया हैं ऐसे विशेष योग्यजन ई मित्र पर अपना निःशुल्क पंजीकरण करवाये जिस हेतु जनाधार कार्ड की अनिवार्यता है।
- जिन विशेष योग्यजनों द्वारा पंजीकरण करवाया गया हैं उनका प्रमाणीकरण उनके जनाधार कार्ड के पते के आधार पर शहरी क्षेत्र में PMO कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित BCMHO कार्यालय से सम्बंधित राजकीय चिकित्सालय में किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 12.00 से 2.00 बजे के बीच संपर्क करके प्रमाणीकरण करवा सकते हैं।
- प्रमाणीकरण उपरांत ऐसे विशेष योग्यजन जिन्होंने गत 3 वर्षों में किसी भी सहायक उपकरण का लाभ नहीं लिया हो तो वे विशेष योग्यजन संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क कर सहायक उपकरण यथा ब्लाइंड स्टिक, ट्राय साईकल, व्हीलचेयर आदि से लाभान्वित हो सकते हैं।

E. उपरोक्त योजनाओं की सूचियाँ

उपरोक्तानुसार योजनाओं से संबंधित सूचियों को जिलेवार एक्सल फाईल में E-Mail द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट

sje.rajasthan.gov.in पर अपलोड भी किया गया है जिसमें फिल्टर का उपयोग कर ब्लॉक एवं ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की सूची तैयार की जा सके।

क्र.सं.	एक्सल फाईल नेम (Excel file Name)	सूची विवरण	अपेक्षित कार्यवाही
A. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना			
1	DistrictName_pension Sheet Name: TempWithHeld	पेंशनर्स जिनकी पेंशन रुकी हुई है	खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि संशोधित करवाकर पेंशन चालू करवाना
2	DistrictName_pension Sheet Name: RegularMOpension	पेंशनर्स जिनको पेंशन मनीऑर्डर से प्राप्त हो रही है।	बैंक के माध्यम से या इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक (IPPB) के माध्यम से DBT करवाना।
3	DistrictName_pension Sheet Name: ReturnMOpension	पेंशनर्स जिन्हें पेंशन मनीऑर्डर से भेजी जाती है, और सही पता नहीं होने के कारण मनीऑर्डर वापस आ जाता है	बैंक के माध्यम से या इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक (IPPB) के माध्यम से DBT करवाना अथवा पते सही करवाना।
B. पालनहार योजना			
4	DistrictName_pnsn no plnhar	पेंशनर्स विधवा महिलाएं (18—45 वर्ष) पालनहार से जुड़ना शेष है। (संभावित सूची)	विधवा महिला के पात्र बच्चों को पालनहार योजना में ई—मित्र के माध्यम से आवेदन करावें।
5	DistrictName_plnhr no janadhar	पेंशनर्स विधवा महिलाएं (18—45 वर्ष) जो पेंशन पोर्टल पर तो दर्ज हैं, परन्तु जनाधार पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इनके पालनहार पोर्टल पर लाभ की स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है। (संभावित सूची)	यदि ऐसे प्रकरणो में विधवा महिला के पात्र बच्चों को पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, तो ई—मित्र के माध्यम से आवेदन करावें।
C. सिलकोसिस योजना			
6	DistrictName_Silicosis	सिलकोसिस योजना में लाभ प्राप्त कर रहे लाभान्वितों की सूची।	सिलिकोसिस से पीडित व्यक्तियों/परिवारों को अन्य योजनाओं जैसेः— विधवाा पेंशन/सिलिकोसिस पेंशन/पालनहार योजना में जोडा जावे।
D. विशेष योग्यजन के प्रमाण पत्र (Disability Certificate) जारी करवाकर लाभ दिलवाना			
7	DistrictName_Udid Pending Detail	Disability Certificate हेतु Online - Pending cases	PMO & BCMHO के पास भेजकर विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र बनाना। यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी करवाना। सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।

आपसे अपेक्षा है कि पूर्व तैयारी हेतु आयोजित ग्राम सभाओं में एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान शिविरों में उपरोक्त सूचियों से फिल्टर का उपयोग कर ग्राम पंचायत वार सूचियाँ तैयार कर ग्राम सभा/शिविर में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रिंट कराकर उपलब्ध कराएें, जिससे लाभार्थी से सम्पर्क होकर अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

F. विभागीय योजनाओं की जानकारी का whattsapp message.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की दस महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में निम्न जानकारी प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा एक पीडीएफ फाईल तैयार की गई है। जिसके प्रथम पृष्ठ पर योजनाओं का हाइपरलिंक दिया गया है। इसे विभागीय अधिकारी एवं अन्य व्यक्ति अपने मोबाईल फोन में रख सकते हैं। जिससे महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में निम्न जानकारी हाथोहाथ प्राप्त हो जाएः–

- योजना का परिचय
- योजन की पात्रता
- देय लाभ
- आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन विधि

इससे सम्बन्धित व्हाट्सएप मैसेज (पीडीएफ फाईल के रूप में) संलग्न है।

अतः प्रशासन गाँवों/शहरों के संग अभियान को सफल बनाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांकःएफ ( )/एससीएसपी/प्र0गाँ0स0–21/सान्याअवि /2021/40024-30 जयपुर, दिनांक 10/9/2021

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग/पंचायती राज विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक/आयुक्त सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग/विशेषयोग्यजन विभाग।

शासन सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(2)पराविं/प्र.1/संस्था/वि.अ./विविध/2019/2471 जयपुर दिनांकः– 09/09/2021

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान

विषयः– "प्रशासन गांवों के संग अभियान" की पूर्व तैयारी हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली गांव सभाओं के संबंध में।

मुझे आपको सूचित करना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान की पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 20.9.2021 से 30.9.2021 तक राजस्व ग्राम स्तर पर गांव सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उक्त गांव सभाओं की विस्तृत कार्ययोजना भी पंचायती राज विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, तथा उक्त गांव सभाओं के आयोजन से पूर्व राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 6 एवं 7 सितम्बर को आयोजित किया जा चुका है, जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण भी पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर तथा 14 से 18 सितम्बर के मध्य आयोजित किया जा रहा है। उक्त अभियान में सम्मिलित अन्य विभागों द्वारा इन गांव सभाओं में भाग लिये जाने से प्रशासन गांवों के संग अभियान की सफलता में अभिवृद्धि होगी क्योंकि समस्त विभागों को उक्त अभियान की पूर्व तैयारी हेतु एक समेकित प्लेटफार्म (मंच) उपलब्ध हो सकेगा। उक्त गांव सभाओं के आयोजन में समस्त विभागों का सहयोग अपेक्षित होने के कारण आपका पर्यवेक्षण आवश्यक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार आयोजित की जाने वाली गांव सभाओं में प्रशासन गांव के संग अभियान से जुडे समस्त विभागों की उपस्थिति एवं योगदान सुनिश्चित करवाने हेतु कार्यवाही की जावे तथा आपके स्तर से उक्तानुसार ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण भी किया जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांक:एफ ( )/एससीएसपी/प्र0गाँ0स0–21/सान्याअवि /2021/5896 जयपुर दिनांक : 7/9/2021

प्रमुख शासन सचिव,
राजस्व विभाग राजस्थान,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– ''प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021'' के संबंध में।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत 02 अक्टूबर 2021 से प्रस्तावित ''प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021'' के दौरान विभाग के माध्यम से निस्तारित किये जाने वाले आम जन से जुड़े हुए कार्यो/व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:एफ ( )/एससीएसपी/प्र0गाँ0स0–21/सान्याअवि /2021/5897-5932 जयपुर दिनांक : 7/9/2021

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप/सहायक निदेशक, सान्याअवि, जिला.................................।

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

251

E:\Prashasan Ganvo ke sang 2021\PGS letter.docx

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

"प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021" के दौरान विभाग के माध्यम से निस्तारित किये जाने वाले आम जन से जुड़े हुए कार्यों की सूची :–

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का प्रचार–प्रसार एवं ई–मित्र के माध्यम से आवेदन करवाना।
2. पेंशनर के बैंक खातों में त्रुटि होने पर उनके संशोधन करवाने एवं मनीओर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के नवीन बैंक खाता खुलवाने हेतु सूची समस्त जिला कलक्टर एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करा दी गई तदनुसार खाता खुलवाने की कार्यवाही की जानी है।
3. पेंशनर्स के गलत/अपूर्ण पते पेंशनर की मृत्यु होने अथवा निवास स्थान से पलायन करने के कारणों से रिटर्न हो रही पेंशन का समाधान करना।
4. छात्रवृति में दिए हुए बैंक खाते जो अन–ऑपरेटिव है उन्हे ऑपरेटिव कराने या परिवर्तित करना।
5. पालनहार योजना का प्रचार–प्रसार एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल का वेरिफिकेशन एवं आईसीडीएस के माध्यम से आंगनबाड़ी में नामांकित होने का वेरिफिकेशन कराना। पालनहार योजनान्तर्गत उन महिलाओं के पात्र बच्चों का आवेदन करावाना जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है।
6. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योज़ना की जानकारी देना एवं छूटे हुए प्रकरणों के प्रस्ताव तैयार करना।
7. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार–प्रसार एवं पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कराना।
8. विशेष योग्यजन विभाग से संबंधित सुखद दाम्पत्य योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का प्रचार–प्रसार एवं ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कराना।
9. जिन व्यक्तियों ने निशक्तजन प्रमाण पत्र एवं सिलिकोसिस योजना अन्तर्गत प्रमाण पत्र का आवेदन कर रखा है, उन्हे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर उनकी जांच करवाना और उन्हें प्रमाण पत्र जारी कराना। सिलिकोसिस के वे प्रकरण जिन का भुगतान जिला कलक्टर के स्तर से होना है, ऐसे समस्त प्रकरणों का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
10. राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग निगम द्वारा इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत प्रचार–प्रसार एवं आवेदन करवाना एवं क्रेडिट कार्ड जारी करवाना।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

"प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021" प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का प्रचार–प्रसार एवं ई–मित्र के माध्यम से आवेदन करवाना।					
	1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना					
	2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना					
	3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्तिह्रास, चलन निशःक्तता, मानसिक मंदता, मानसिक रूग्णता एवं बौनापन)					
	4. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना					
	5. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला)					
	6. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्तिह्रास, चलन निशःक्तता, मानसिक मंदता, मानसिक रूग्णता एवं बौनापन)					
	7. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना					
2	पेंशनर के बैंक खातों त्रुटि होने पर उनके संशोधन करवाने एवं मनीओर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के नवीन बैंक खाता खुलवाने हेतु सूची समस्त जिला कलक्टर एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करा दी गई तदनुसार खाता खुलवाने की कार्यवाही की जानी हैं।					
3	पेंशनर्स के गलत/अपूर्ण पते पेंशनर की मृत्यु होने अथवा निवास स्थान से पलायन करने के कारणों से रिटर्न हो रही पेंशन का समाधान करना।					
4	छात्रवृति में दिए हुए बैंक खाते जो अन–ऑपरेटिव हैं उन्हें ऑपरेटिव कराने या परिवर्तित करना।					
5	पालनहार योजना का प्रचार–प्रसार एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल का वेरिफिकेशन एवं आईसीडीएस के माध्यम से आंगनबाड़ी में नामांकित होने का वेरिफिकेशन कराना। पालनहार योजनान्तर्गत उन महिलाओं के पात्र बच्चों का आवेदन करावाना जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं।					

Scanned with CamScanner

6	मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की जानकारी देना एवं छूटे हुए प्रकरणों के प्रस्ताव तैयार करना।					
7	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार–प्रसार एवं पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कराना।					
8	विशेष योग्यजन विभाग से संबंधित सुखद दाम्पत्य योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का प्रचार–प्रसार एवं ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कराना।					
9	जिन व्यक्तियों ने निशक्तजन प्रमाण पत्र एवं सिलिकोसिस योजना अन्तर्गत प्रमाण पत्र का आवेदन कर रखा हैं, उन्हे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर उनकी जांच करवाना और उन्हें प्रमाण पत्र जारी कराना। सिलिकोसिस के वे प्रकरण जिन का भुगतान जिला कलक्टर के स्तर से होना हैं, ऐसे समस्त प्रकरणों का भुगतान सुनिश्चित करवाना।					
10	राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग निगम द्वारा इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत प्रचार–प्रसार एवं आवेदन करवाना एवं क्रेडिट कार्ड जारी करवाना।					
11	अन्य योजना					

Scanned with CamScanner